संख्या:29/2017/सा-3-495/दस-2017-2एल सी/2017

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
कोषागार एवं पेंशन,
जवाहर भवन, लखनऊ।

2- निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2017

विषय :- 80 वर्ष की आयु प्राप्त पेंशनरों के एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016-308/2016, दिनांक 23-12-2016 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि 80 वर्ष की आयु प्राप्त पेंशनर्स के एरियर का भुगतान दिनांक 31-03-2017 तक कर दिया जाये।

2- उ0प्र0 पेंशनर्स कल्याण संस्था के पत्र दिनांक 08-08-2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 31-12-2016 के बाद 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पेंशनर्स को एरियर का एक मुश्त भुगतान नही किया जा रहा है।

3- अतः उक्त के सम्बन्ध में पुनः यह निर्देश दिये जाते हैं कि 80 वर्ष की आयु प्राप्त पेंशनरों को एरियर का एक मुश्त भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:29/2017/सा-3-495(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था, कूर्मांचल नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।